प्रेषक:

मणीन्द्र शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 13 अक्टूबर, 2020

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-21 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं विद्युत वितरण निगमों की अवस्थापना योजनाओं हेतु पीएफसी से लिए गये मध्यकालीन ऋण के ब्याज भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1290/अधि0नि0 (वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2020-21/394, दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक 2801-05-800-20-20 में प्राविधानित धनराशि रूपये 100,16,41,000/- (रूपये एक सौ करोड़ सोलह लाख इकतालिस हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 68,02,68,000/- (रूपये अड़सठ करोड़ दो लाख अड़सठ हजार मात्र) में से धनराशि रूपये 23,86,64,000/- (रूपये तेईस करोड़ छियासी लाख चौसठ हजार मात्र) पी0एफ0सी0, नई दिल्ली को दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 को किये जाने वाले ब्याज के भुगतान हेतु स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2020-21 में वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले अतिरिक्त ऋण की ब्याज सहित अदायगी हेतु किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उक्त प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

6- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-20- वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले अतिरिक्त ऋण की ब्याज सहित अदायगी -20- सहायता अनुदान - सामान्य(गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10-215/दस - 2020, दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

मणीन्द्र शर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या- 94/2020/1308(1)/24-1-20, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ गार्ड बुक।

आज्ञा से,

मणीन्द्र शर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in